न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि0, उन्नाव।
प्रकीर्ण वाद संख्या 1161/2019
वादी अरूण यादव
थाना कोतवाली जिला उन्नाव।

दिनांक 03.02.2020:–

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार पर कोई उपस्थित नही है। प्रकरण से सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर उसे स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

प्रकरण पुराना है तथा वादी मुकदमा सम्यक् आदेशिकाये निर्गत करने के बाद प्रकरण मे उपस्थित नही आया है। वादी के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि उसे अन्तिम आख्या के विरूद्व कुछ नही कहना है। अन्तिम आख्या नियमानुसार विवेचना कर प्रस्तुत की गयी है। मामले के तथ्य व परिस्थितियो मे अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विराट कुमार श्रीवास्तव)
आई.डी.यू.पी.1728
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उन्नाव।